

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2014/

भोपाल,दिनांक /01/2014

// आदेश //

संचालनालय आदेश क्रमांक 999-जी, दिनांक 13-जुलाई-2013 द्वारा श्री रामपाल बाथम,फील्ड वर्कर जिला मलेरिया कार्यालय भोपाल का स्थानान्तरण प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर के अधीन किया गया था ।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्री रामपाल बाथम,फील्ड वर्कर जिला मलेरिया कार्यालय भोपाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 12513/2012 दायर की गई जिस पर मान.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2012 पारित करते हुये श्री बाथम के अभ्यावेदन का निराकरण करने के निर्देश प्रदान करते हुए अभ्यावेदन निराकरण अवधि तक स्थगन प्रदान किया गया ।

मान.उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2012 के पालन में श्री रामपाल सिंह बाथम द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि उनका स्थानान्तरण द्वेशता पूर्वक किया गया था अतः स्थानान्तरण निरस्त किया जावे।

अभ्यावेदन एवं सहपत्रों का अवलोकन किया गया। श्री बाथम लघुवेतन कर्मचारी संघ के जिला सचिव है तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 27.04.2013 में निहित निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के सचिवों को स्थानान्तरण से दो पदावधि के लिये छूट प्रदान की गई है। वर्तमान जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा श्री बाथम का कार्य भी संतोषजनक होना प्रतिवेदित किया गया है।

अतः उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 16.08.2012 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण पर पुनर्विचार करते हुए आदेश क्रमांक 999-जी, दिनांक 13.07.2012 में आंशिक संशोधन करते हुये श्री रामपाल बाथम, फील्ड वर्कर जिला मलेरिया कार्यालय भोपाल का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर के अधीन, प्रशासकीय आधार पर किया गया स्थानान्तरण, तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित


(शैलबाला मार्टिन)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2014/ 66-M
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

भोपाल,दिनांक 29/01/2014

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश।
2. संयुक्त संचालक, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल/सीहोर म.प्र.।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल/सीहोर म.प्र.।
5. जिला मलेरिया कार्यालय भोपाल ।
6. उप संचालक (लीगल) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
7. कोषालय अधिकारी, भोपाल/सीहोर मध्यप्रदेश ।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ ।
9. आदेश नस्ती ।


28/1/14
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 19 / 02 / 2014

क्रमांक एफ 12-08/2014/17/मेडि-1:: श्री रामकिशन शाक्य, एकाउन्टेन्ट, सिविल अस्पताल, डबरा जिला ग्वालियर में पदस्थ रहने के दौरान विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, ग्वालियर द्वारा 2500/- रुपये रिश्वत मांग करने पर भ्रष्टाचार करने का प्रकरण अपराध क्रमांक 14/2014, धारा-7, पी.सी. एक्ट 1988 तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

2/ अतः सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के परिपालन में राज्य शासन एतद् द्वारा श्री रामकिशन शाक्य, एकाउन्टेन्ट, सिविल अस्पताल, डबरा जिला ग्वालियर को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, ग्वालियर में पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सियाराम साहू)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 / 02 / 2014

पृष्ठा. क्रमांक एफ 12-08/2014/17/मेडि-1
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल।
2. स्टाफ आफीसर/निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र. भोपाल।
3. अपर संचालक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र., भोपाल,
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर।
5. प्रभारी एम0आई0एस0, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल की ओर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, ग्वालियर की ओर उनके पत्र क्रमांक 434/अप.क्रमांक 14/14/विपुस्थ/14, दिनांक 25.1.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित,
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर।
8. ब्लॉक मेडिकल आफीसर, सिविल अस्पताल, डबरा जिला ग्वालियर।
9. श्री रामकिशन शाक्य, एकाउन्टेन्ट, सिविल अस्पताल, डबरा जिला ग्वालियर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र.2/अविज्ञप्त/सेल-टी.पी./2014/
प्रति,

भोपाल, दिनांक / /2014

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला कटनी।

विषय:- श्री मुकेश कड़ा, सहायक ग्रेड-3, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कटनी के स्थानान्तरण आदेश में संशोधन बाबत।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 307 दिनांक 08.01.2014

४० ४० ४० ४० ४०

उपरोक्त विषयांतर्गत संचालनालय के आदेश क्रमांक2/अविज्ञप्त/सेल टी.पी./2013/815-आई दिनांक 25.09.13 द्वारा श्री मुकेश कड़ा, सहायक ग्रेड-3, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कटनी का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया के अधीन स्थानान्तरण किया गया है।

उक्त आदेश में श्री मुकेश काड़ा, सहायक ग्रेड-3, जिला चिकित्सालय कटनी के स्थान पर श्री मुकेश कड़ा सहायक ग्रेड-3 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय कटनी पढ़ा जावे।

"अपर संचालक (प्रशासन) द्वारा अनुमोदित"

(डॉ.जे.पी.खरे)

उप संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र.2/अविज्ञप्त/सेल-टी.पी./2014/210-0
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 06/03/2014

1. अपर संचालक (एम.आई.एस.), स्थानीय कार्यालय।
2. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर/जबलपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दतिया की ओर सूचनार्थ।
4. कोषालय अधिकारी, दतिया/कटनी।
5. संबंधित कर्मचारी की ओर पासनार्थ।

उप संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 2845

दिनांक 02/06/14

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल-1/2014/

भोपाल, दिनांक / /2014

//आदेश//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक/2/अवि.
/सेल-टी.पी./2014/397-क्यू, भोपाल दिनांक 29.05.2014 द्वारा कुमारी लक्ष्मी नंदा,
सहायक ग्रेड-3 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल का स्थानान्तरण मुख्य
चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मण्डला के अधीन किया गया है जिसके परिपालन
में कुमारी लक्ष्मी नंदा, सहायक ग्रेड-3 को दिनांक 31.05.2014 को अपरान्ह से कार्यमुक्त
किया जाता है ।

अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल-1/2014/ 1233

भोपाल, दिनांक 31 /5 /2014

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1- विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश ।
- 2- संचालक, राज्य बीमारी सहायता निधि, स्थानीय कार्यालय ।
- 3- संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
- 4- अपर संचालक, एम.आई.एस./वित्त, स्थानीय कार्यालय ।
- 5- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मण्डला मध्य प्रदेश ।
- 6- उप संचालक, अविज्ञप्त शाखा/राज्य बीमारी सहायता निधि, स्थानीय कार्यालय ।
- 7- कोषालय अधिकारी जिला भोपाल/मण्डला, मध्यप्रदेश ।
- 8- आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय ।
- 9- कुमारी लक्ष्मी नंदा, सहायक ग्रेड-3 स्थानीय कार्यालय ।
- 10- सेल-3 एवं 5, कार्यालय स्थापना शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
- 11- आदेश नस्ती ।

mfs

अपर संचालक (प्रशासन),
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2014/

भोपाल, दिनांक / जुलाई /2014

:: आदेश ::

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्न लिखित वाहन चालकों को कॉलम क्रमांक 03 में उल्लेखित पदस्थापना स्थान से कॉलम क्रमांक 04 में दर्शाये गये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

क्रं.	नाम व पद	वर्तमान पदस्थापना	स्थानान्तरित स्थल	स्थानान्तरण का आधार
1	2	3	4	5
01	श्री विजय ताम्रकार वाहन चालक	जिला मलेरिया कार्यालय विदिशा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल के अधीन	प्रशासकीय
02	श्री सतीश कुचेरिया वाहन चालक	जिला मलेरिया कार्यालय विदिशा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद के अधीन	प्रशासकीय
03	श्री समीम खान वाहन चालक	जिला मलेरिया कार्यालय विदिशा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर के अधीन	प्रशासकीय

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(शैलबाला मार्टिन)

अपर संचालक(प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2014/501-5

भोपाल दिनांक/09/ जुलाई /2014

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/ स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ।
- संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश ।
- संयुक्त संचालक, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय ।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा/होशंगाबाद/सीहोर/बैतूल मध्यप्रदेश ।
- जिला मलेरिया कार्यालय विदिशा मध्यप्रदेश ।
- कोषालय अधिकारी, विदिशा/होशंगाबाद/सीहोर/बैतूल मध्यप्रदेश ।
- निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये, मध्यप्रदेश ।
- संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ ।
- आदेश नस्ती ।



अपर संचालक(प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2014/

भोपाल, दिनांक / जुलाई /2014

:: आदेश ::

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्न लिखित नेत्र सहायक को कॉलम क्रमांक 03 में उल्लेखित पदस्थापना स्थान से कॉलम क्रमांक 04 में दर्शाये गये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

क्रं.	नाम व पद	वर्तमान पदस्थापना	स्थानान्तरित स्थल	स्थानान्तरण का आधार
1	2	3	4	5
01	श्री.रामनाथ दिलारे नेत्र सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र त्योडा जिला विदिशा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद के अधीन	प्रशासकीय
02	श्री राजेन्द्र कुमार साहू, नेत्र सहायक	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरखेडाजागीर (नटेरन) जिला विदिशा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हरदा के अधीन	प्रशासकीय

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(शैलबाला मार्टिन)

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2014/ 503-5 भोपाल दिनांक/09/ जुलाई /2014

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/ स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश ।
3. संयुक्त संचालक, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय ।
4. उप संचालक,अधत्त्व निवारण संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,स्थानीय कार्यालय ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विदिशा/होशंगाबाद/हरदा मध्यप्रदेश ।
6. कोषालय अधिकारी, विदिशा/होशंगाबाद/हरदा मध्यप्रदेश ।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये, मध्यप्रदेश ।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ ।
9. आदेश नस्ती ।



अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2014/

भोपाल, दिनांक / /2014

//आदेश//


श्री एन.के.लाड, नेत्र सहायक, सामु. स्वास्थ्य केन्द्र बाकानेर जिला धार का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खण्डवा के अधीन रिक्त पद पर किया जाता है।


“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2014/785-√ भोपाल, दिनांक 29/10 /2014
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/स्वास्थ्य राज्या मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर मध्यप्रदेश।
3. अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धार/खण्डवा मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन सह अधीक्षक मुख्य अस्पताल, धार/खण्डवा मध्यप्रदेश।
6. कोषालय अधिकारी जिला धार/खण्डवा मध्यप्रदेश।
7. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
8. आदेश नस्ति।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश



संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2014/

भोपाल, दिनांक / /2014

//आदेश//


श्री माधव सिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड-2, क्षय चिकित्सालय, नौगांव जिला छतरपुर का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह के अधीन किया जाता है।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2014/922-Xभोपाल, दिनांक 30/12 /2014
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव अवर सचिव मा. मुख्यमंत्री की ओर उनके पत्र क्र. 9660/CMS/PUB/2014 दिनांक 27.11.2014 के संदर्भ में।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भागलपुर, मध्यप्रदेश।
3. अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छतरपुर/दमोह मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन सह अधीक्षक मुख्य अस्पताल, छतरपुर/दमोह मध्यप्रदेश।
6. अधीक्षक क्षय चिकित्सालय नौगांव जिला छतरपुर
7. कोषालय अधिकारी जिला विदिशा/भोपाल मध्यप्रदेश।
8. संबन्धित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ति।


30/12/14

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 2 / अवि. / सेल-टी.पी. / 2014 /

भोपाल, दिनांक / / 2014

// आदेश //


श्री महेन्द्र टांडेकर, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, सामु. स्वास्थ्य केन्द्र ग्यारसपुर जिला विदिशा का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल के अधीन किया जाता है।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / 2 / अवि. / सेल-टी.पी. / 2014 / 911 - X भोपाल, दिनांक 19/12/2014
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश।
3. अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला विदिशा/भोपाल मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन सह अधीक्षक मुख्य अस्पताल, विदिशा/भोपाल मध्यप्रदेश।
6. कोषालय अधिकारी जिला विदिशा/भोपाल मध्यप्रदेश।
7. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
8. आदेश नस्ति।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये

मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2014/

भोपाल, दिनांक / दिसम्बर /2014

:: आदेश ::

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्न लिखित कर्मचारियों को कॉलम क्रमांक 03 में उल्लेखित पदस्थापना स्थान से कॉलम क्रमांक 04 में दर्शाये गये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर अन्य आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :-

क्रं.	नाम व पद	वर्तमान पदस्थापना	स्थानान्तरित स्थल	स्थानान्तरण का आधार
1	2	3	4	5
01	श्री नारायण सिंह भूरिया इंसर	प्रा.स्वा.केन्द्र राजगढ़ जिला धार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर के अधीन	स्वयं का व्यय
02	श्री किशोर कुमार श्रीवास्तव इंसर	सामु.स्वा.केन्द्र खनियाधाना जिला शिवपुरी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर के अधीन	स्वयं का व्यय
03	श्रीमती उर्मिला पाण्डेय भृत्य	प्रा.स्वा.केन्द्र नकड़र जिला सीधी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा के अधीन	स्वयं का व्यय

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(शैलबाला मार्टिन)


अपर संचालक(प्रशासन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2014/878-X भोपाल दिनांक/15/ दिसम्बर /2014

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/ स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये, इन्दौर, ग्वालियर, रीवा संभाग मध्यप्रदेश ।
3. संयुक्त संचालक, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर, रीवा, सीधी, धार, ग्वालियर,शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
5. कोषालय अधिकारी, जिला- इन्दौर, रीवा, सीधी, धार, ग्वालियर,शिवपुरी मध्यप्रदेश ।
6. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/अपर संचालक प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये, मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित कर्मचारी की ओर पालनार्थ ।
8. आदेश नस्ती ।



अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 2 / अवि. / सेल-टी.पी. / 2014 /

भोपाल, दिनांक / / 2014

// आदेश //

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्र / 2 / अवि. / सेल-टीपी / 2012 / 1009-A दिनांक 13.07.2012 द्वारा श्रीमती एस मानकर सहायक ग्रेड-3 टी.बी सेनेटोरियम छिंदवाडा का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीकमगढ़ के अधीन किया गया स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

उपसंचालक(अविज्ञप्त)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / 2 / अवि. / सेल-टी.पी. / 2014 / 920-X भोपाल, दिनांक 24 / 12 / 2014
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- ~~1. विशेष सहायक, मानसीय स्वास्थ्य / स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।~~
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर / सागर, मध्यप्रदेश।
3. अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा / टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक छिंदवाड़ा / टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।
6. अधीक्षक, टी.बी.सेनेटोरियम, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।
7. कोषालय अधिकारी जिला छिंदवाड़ा / टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ति।



24.12.2014

उपसंचालक(अविज्ञप्त)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक /2/अवि./सेल-टी.पी./2014/

भोपाल, दिनांक / /2014

//आदेश//


संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्र/2/अवि./सेल-टीपी /2014/501-एस दिनांक 09.07.2014 द्वारा श्री सतीश कुचेरिया, वाहन चालक जिला मलेरिया कार्यालय विदिशा का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला होशंगाबाद के अधीन किया गया स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर उन्हे पुनः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा के विकल्प पर स्वयं के व्यय पर पदस्थ किया जाता है। इनकी अनुपस्थिति अवधि को एतद् द्वारा अकार्य दिवस भी घोषित किया जाता है।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक /2/अवि./सेल-टी.पी./2014/887-X भोपाल, दिनांक 18/12/2014
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश।
3. अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला विदिशा/होशंगाबाद मध्यप्रदेश।
4. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक विदिशा/होशंगाबाद मध्यप्रदेश।
5. कोषालय अधिकारी जिला विदिशा/होशंगाबाद मध्यप्रदेश।
6. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
7. आदेश नस्ति।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश